

कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प. क.) चंडीगढ़

कार्यालय आदेश भाग-II संख्या - 369

दिनांक :- 26.07.2021

विषय:- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति रक्षा लेखा विभाग स्थापना।

श्री/श्रीमति Karmbir Singh, SA लेखा सं . 8333159


इस कार्यालय में कार्यरत श्री/श्रीमति Karmbir Singh, SA लेखा सं . 8333159 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना देने तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 'क' के प्रावधानों के अंतरगत समक्ष अधिकारी द्वारा उसे स्वीकृत करने पर उन्हे दिनांक . 01.10.2021 (पूर्वा) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जाने की अनुमति दी जाती है और उसी तारीख से उन्हे पेंशन स्थापना को स्थानांतरित किया जाता है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 5 के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख को कार्य दिवस नहीं माना जाएगा ।

जिन मांगो को पूरी वसूली नहीं हुई है तथा सेवा निवृत्ति संबंधित वेतन ग्रुप द्वारा निर्धारित की जाएगी और पूर्वानुमानित पेंशन/उपदान के लिए पेंशन संबंधी कागज भेजते समय उसकी सूचना दी जाएगी। इसे कड़े अनुपालन के लिए नोट किया जाए।

Auth: PCDA (WC) Chandigarh office note no. AN/VIII/Ex-X/Pen/KS dated 19.07.2021

सं: -प्रशा./VIII/Ex-X/पेंशन/KS

दिनांक :- 26-07.2021


रक्षा लेखा उप./सहा. नियंत्रक

प्रतिलिपि-

1. रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग पालम, दिल्ली छावनी
2. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद
3. रक्षा लेखा नियंत्रक (निधि) मेरठ
4. यात्रा /भत्ता अनुभाग (स्थानीय)
5. व्यक्तिगत पत्राचार फाइल
6. कार्यालय आदेश फाइल
7. प्रशासन अनुभाग के सभी ग्रुप (स्थानीय)
8. IT&S अनुभाग (स्थानीय)
9. श्री/श्रीमति Karmbir Singh, SA लेखा सं . 8333159 O/o PAO (ORs) RRRC Delhi Cantt.
10. कार्यालय PAO(ORs) RRRC Delhi Cantt

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)